क्रम-संख्या–86 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 मई, 2025
ज्येष्ठ 8, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या 471 / 2025-83–1099-78-2022
लखनऊ, 29 मई, 2025

अधिसूचना

प0आ0–177

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या. 27 सन् 1968) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के जिलों यथा–अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, बिजनौर, बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, अमरोहा, कासगंज, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, कुशीनगर, कौशांबी, महोबा, मैनपुरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, संभल, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर के लिए व्यक्तियों के एक निकाय का गठन करते हैं, जिसे सम्बंधित जिलों का नागरिक सुरक्षा कोर कहा जाएगा और सम्बंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त कोरों का समादेशन करने के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) के अधीन निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) और नागरिक सुरक्षा नियमावली, 1968 के नियम-19 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये जायेंगे ।

आज्ञा से,
संयुक्ता समद्दार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 471/2025-LXXXIII–1099-78-2022**,** dated May 29, 2025:

No. 471/2025-LXXXIII–1099-78-2022

Dated Lucknow, May 29, 2025

In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 4 of the Civil Defence Act, 1968 (Act no. 27 of 1968), the Governor is pleased to constitute for the districts of the State *viz*-Ambedkar Nagar, Amethi, Auraiya, Unnao, Bahraich, Barabanki, Ballia, Bijnor, Badaun, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Fatehpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Kannauj, Amroha, Kasganj, Kanpur Dehat, Gautam Buddha Nagar, Ghazipur, Hapur, Hamirpur, Lakhimpur Kheri, Lalitpur, Kushinagar, Kaushambi, Mahoba, Mainpuri, Maharajganj, Mau, Pilibhit, Pratapgarh, Rampur, Rae Bareli, Sambhal, Sant Ravidas Nagar, Sant Kabir Nagar, Shahjahanpur, Shamli, Sitapur, Shravasti, Sonbhadra, Sultanpur, Siddharthnagar and Balrampur a body of persons to be called Civil Defence Corps, of the respective districts and to appoint the District Magistrate of the respective districts as the Controller to command the said Corps.

The Governor is further pleased to direct under clause (a) of Section 17 of the aforesaid Act that the District Magistrate of the aforesaid districts shall be authorised to exercise the powers under Sub-section (1) of Section 4 of the aforesaid Act and sub-rule (1) of rule 19 of the Civil Defence Rules,1968.

By order,
SANYUKTA SAMADDAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 221 राजपत्र–2025–(656)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 नागरिक सुरक्षा–2025–(657)–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

221 RPH (Nagrik Suraksha)2025 Data 4e